15

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827 (का0)
फैक्स – (0522) 2287785
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

दिनांकः जून 15 ,2019

ई–मेल/डाक पत्रांकः 707/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/झटपट संयोजन

विषय– नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित "झटपट संयोजन" पोर्टल द्वारा ऑनलाइन संयोजन निर्गत किये जाने हेतु डिस्कामवार व खण्डवार लक्ष्य निर्धारण के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

आप अवगत हैं कि पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर नये विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु "New Connection Single Window" झटपट (JHATPAT) कनेक्शन पोर्टल क्रियान्वित है। "झटपट संयोजन" पोर्टल पर प्राप्त हो रहे नये आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए अधिक से अधिक संयोजन निर्गत किया जाना ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।

इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:–

1– झटपट संयोजन पोर्टल पर वर्ष 2019–20 (जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक) में 3.00 लाख नये संयोजन ऑनलाइन निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसका डिस्कामवार ब्रेकअप संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक–1)।

2– 01 जुलाई 2019 के पश्चात प्रदेश में समस्त नये विद्युत संयोजन ऑनलाइन आवेदन (झटपट संयोजन पोर्टल अथवा निवेश मित्र पोर्टल) के माध्यम से ही निर्गत किये जाने हैं एवं संयोजन के संबंध में भुगतान मात्र झटपट संयोजन पोर्टल अथवा निवेश मित्र पार्टल पर पंजीकृत उपभोक्ताओं हेतु ही स्वीकार किया जायेगा।

अतः आप से अनुरोध है कि डिस्काम के नामित नोडल अधिकारी (झटपट संयोजन) के माध्यम से नये संयोजन निर्गत करने हेतु खण्डवार लक्ष्य निर्धारित करवाते हुए ईमेलः cecomuppcl@gmail.com पर सूचित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

Aparna U
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)सीयू–दो तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक–1

रण निगमवार जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक झटपट संयोजन पोर्टल पर नये संयोजन दिए जाने का लक्ष्य।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 स्तर पर लक्ष्य–3,00,000

क0सं0	वितरण निगम का नाम	वितरण निगम का प्रतिशत	जुलाई 19 से मार्च 20 तक वितरण निगम का लक्ष्य	प्रत्येक माह वितरण निगम का लक्ष्य
1	2	3	4	5=column 4/9
1	पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0	24.54	73620	8180
2	मध्यांचल वि0वि0नि0लि0	24.81	74430	8270
3	दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0	19.01	57030	6337
4	पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0	28.97	86910	9657
5	केस्को	2.67	8010	890

ए0के0 श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल–directorcomm@uppcl.org
दूरभाष : 0522–2287868,फैक्स सं0: 0522–2287834
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/झटपट संयोजन/2019 दिनांकः जून, ,2019

विषय– **नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित "झटपट संयोजन" पोर्टल पर संयोजन के लिए आवश्यक अभिलेखों को आवेदक द्वारा नहीं अपलोड करने पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा क्वेरी रेज किए जाने के सम्बन्ध में।**

ई–मेल/डाक

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया वर्तमान में नये संयोजनों के निर्गत किये जाने सम्बन्धी झटपट संयोजन पोर्टल के विषय में पूर्ववर्ती पत्राचार का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नये झटपट संयोजन पोर्टल पर आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेख नहीं अपलोड किए जाने पर संयोजन के निरस्तीकरण की मानक प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती हैः–

1– विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (षष्टम संशोधन) (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्न मात्र दो अभिलेखों के साथ–साथ भारत सरकार की BRAP की संस्तुतियों के अनुसार पहचान पत्र आवेदक से जमा कराया जायेंगाः–

(क) कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी और एल फार्म)

(ख) परिसर के विधि पूर्ण अधिभोग (Occupation) के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य। अगर ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, तो क्षतिपूर्ति बंध–पत्र।

2– सम्बन्धित वितरण खण्ड आवेदन के साथ अपलोड नहीं किये गये अभिलेखों का विवरण देते हुए सात दिनों के अन्दर आवेदक द्वारा अभिलेखों को जमा किए जाने के सम्बन्ध में एक क्वेरी झटपट पोर्टल पर रेज कर सकता है।

3– क्वेरी में माँगे गये अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने की समय सीमा वितरण खण्ड द्वारा क्वेरी रेज करने के दिनांक से अधिकतम 21 दिनों तक होगी। इस अवधि में आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख नहीं अपलोड करने की स्थिति में वितरण खण्ड द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी अभिलेख के अनुरोध के आधार पर यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार झटपट संयोजन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

18

पत्र संख्या: /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)सीयू–दो तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. (ई–मेल/डाक) निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उपरोक्तानुसार झटपट पोर्टल में प्रावधान किए जाने के संबन्ध में।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

19

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : chairmanuppcl@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827 (का0)
फैक्स – (0522) 2287785
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक :–523,/मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/झटपट सं0 दिनांक : अप्रैल, 27 ,2019

विषयः– "झटपट संयोजन" पोर्टल की **Applicabilty** एवं **SOP (Standard Oprationg Procedure)** के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमॉचल/पूर्वान्चल/मध्यॉचल /दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ /वाराणसी /लखनऊ /आगरा

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

आप अवगत हैं कि विद्युत उपभोक्ताओं को त्वरित गति से विद्युत संयोजन देने हेतु 'झटपट संयोजन' पोर्टल uppcl.org पर विकसित किया गया है। आवेदक फार्म भरने से लेकर संयोजन निर्गत होने तक सभी चरणों का अनुश्रवण ऑनलाइन झटपट पोर्टल के माध्यम से स्वयं कर सकता है। इस पोर्टल पर उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हो रहें हैं।

इस पोर्टल की अप्लीकेबिलिटी के संबंध में निम्नवत सूचनीय है:–

1– इस पोर्टल द्वारा मूलतः घरेलू, वाणिज्यिक एवम् निजी संस्थान टैरिफ श्रेणियों अर्थात् LMV1 (upto 50 KW), LMV2 एवं LMV4b के विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेंगे।

2– उ0प्र0 शासन के उद्योग बन्धु द्वारा संचालित निवेश मित्र पोर्टल मूलतः निवेशकों/उद्योगों के संयोजन वाले उपभेक्ताओं हेतु प्रभावी है, अर्थात् LMV-1 (above 50 KW), LMV6, HV1 एवं HV2 टैरिफ श्रेणियों के संयोजन 'निवेश मित्र' पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने हैं।

3– निजी ट्यूबवेल के उपभोक्ता अर्थात् LMV5 श्रेणी के एवं सरकारी श्रेणी के उपभोक्ता इससे आवृत नहीं हैं।

संयोजन निर्गत करनें हेतु निम्नवत SOP अपनायी जायेगी :–

1. सर्वप्रथम उपभोक्ता पोर्टल पर अपने को पंजीकृत कराकर online application पर समस्त वांछित सूचानायें एवं अभिलेख अपलोड करेगा।
2. आवेदन के पक्ष में Processing Fee का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा online किया जायेगा।
3. इस प्रकार Processing Fee जमा होने पर भुगतान की स्थिति सम्बन्धित वितरण खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता को पोर्टल पर अन्तरित हो जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के मोबाइल फोन पर एस0एम0एस0 द्वारा भी सूचना प्रेषित होगी।
4. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता विद्युत संयोजन सम्बन्धी आवेदन को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवंटित करते हुये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता द्वारा इंस्पेक्शन हेतु दिए गये 3 विकल्पों में से सुविधानुसार प्रोसेसिंग फीस जमा करने के **अधिकतम 3 दिनों के अन्दर इंस्पेक्सन की तिथि निर्धारित कर** पोर्टल पर अपलोड की जाये।
5. सम्बन्धित वितरण खण्ड **प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरांत स्थलीय जाँच अधिकतम 10 दिनों के अन्दर** विद्युत आपूर्ति संहिता के खण्ड 4.4(c) के प्रावधानानुसार पूर्ण करायेगा। तत्पश्चात प्राक्कलित धनराशि को झटपट संयोजन पोर्टल पर विद्युत आपूर्ति संहिता खण्ड के खण्ड 4.7 (संलग्नक–1) एवं खण्ड 4.8 (संलग्नक–2) के अनुसार निम्नलिखित दिवसों मे अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेगाः–

(क) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है– स्थलीय जांच के उपरांत अधिकतम 10 कार्य दिवसों में,

(ख) जहा Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है–

(i) स्थलीय जॉच के उपरांत अधिकतम 15 दिवसों में (एल0टी0 आपूर्ति के लिए),

(ii) स्थलीय जॉच के उपरांत अधिकतम 30 दिवसों में (एच0टी0 आपूर्ति के लिए)।

6. आवेदक को वितरण निगम के पर्यवेक्षण के अधीन एल0ई0सी0 के माध्यम से स्वयं इन कार्यों को निष्पादित करने का विकल्प होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षण प्रभार, आपूर्ति संहिता के खण्ड 4.6 (ड़) (ii) के प्रावधानानुसार, वितरण निगमों को संदेय होगा।
7. वांछित प्राक्कलित धनराशि जमा करने के लिये उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानानुसार निम्नवत् समय प्रदान किया जायेगाः–

   (क) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है– माँग–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 7 कार्य दिवसों में,

   (ख) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है– प्राक्कलन की 90 दिनों की वैलिडिटी अवधि में।
8. उपभोक्ता द्वारा वांछित प्राक्कलित धनराशि जमा कर दिये जाने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानानुसार वितरण खण्ड के अधिकारियों द्वारा संयोजन सम्बन्धी कार्रवाही करते हुये निम्नवत् उल्लिखित दिवसों में मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट जारी कर पोर्टल पर फीट/अपलोड किया जायेगाः–

   (क) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है (नये खम्भे या भूमिगत केवल बिछाए जाने की आवश्यकता नहीं है) – आवेदक द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने के अधिकतम 7 कार्य दिवसों में,

   (ख) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है:

      i. जहाँ लाइन के विस्तार या वितरण ट्रांसफॉर्मर के संवर्धन (augmentation) की अपेक्षा की जाती है– अधिकतम 60 दिनों में,

      ii. जहाँ नया वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापना की अपेक्षा की जाती है– अधिकतम 120 दिनों में।
9. उपरोक्त प्रकिया की समाप्ति पर विद्युत संयोजन पूर्ण माना जायेगा।
10. 5 कि0वा0 भार तक के ग्रामीण एवं शहरी घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं से नये संयोजन निर्गत करने हेतु लागू सुगम संयोजन योजना (संलग्नक–3) में उल्लिखित चार्जेज की माँग की जानी है।
11. झटपट संयोजन पोर्टल पर लम्बित मामलों की मानीटरिंग हेतु प्रत्येक माह डिस्काम स्तर पर तैयार किया जाने वाला MIS (Management Information System) संलग्न (संलग्नक–4) किया जा रहा है।
12. निर्णय लिया गया है कि 01.07.2019 के पश्चात प्रदेश में समस्त विद्युत संयोजन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही निर्गत किये जायेंगे।
13. इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की आई0टी0 सम्बन्धी असुविधा होने पर वितरण निगम में नामित अधिशाषी अभियन्ता आई0टी0 (बिलिंग) प्राथमिक रूप से समाधान हेतु उत्तरदायी होंगे। तदोपरांत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में पोर्टल हेतु उत्तरदायी अधिकारी–अधिशाषी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) समस्याओं का समाधान करायेगें।
14. सभी विद्युत वितरण उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी की Login ID एवं Passward पूर्व में सूचित की जा चुकी है।
15. सभी विद्युत वितरण खण्डों के अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) को "निवेश मित्र" पोर्टल हेतु जारी आई0डी0 एवं पासवर्ड ही इस uppcl.org पर उपलब्ध 'झटपट संयोजन' पोर्टल हेतु मान्य है।
16. उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर लम्बित नये विद्युत संयोजनों का अनुश्रवण अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।
17. अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर लम्बित नये संयोजनों का अनुश्रवण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा किया जायेगा।
18. डिस्काम मुख्यालय द्वारा किये जाने वाला सूक्ष्म अनुश्रवण डिस्काम के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
19. समग्रता में वितरण क्षेत्रवार अनुश्रवण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की इकाई द्वारा किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नवीन 'झटपट संयोजन' पोर्टल पर ससमय संयोजन दिये जाने हेतु अपने डिस्काम के समस्त वितरण क्षेत्र के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्र संख्याः 523, /मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0)/सीयू–दो/झटपट संयोजन तद्दिनांकः 27/04/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य) पू0वि0वि0नि0लि0, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, म0 वि0वि0नि0लि0, द0 वि0वि0नि0लि0,केस्को।
4. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि संलग्न MIS प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त किये जाने एवं पत्र में उल्लिखित अन्य प्रावधानों के लिए साफ्टवेयर में व्यवस्था करने का कष्ट करें।
6. इं0 वैभव चौधरी अधिशाषी अभियन्ता, आई.टी. इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक–यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

संलग्नक- 4

MIS Regarding Pending Cases on 'Jhatpat Connection' Portal

Date:

me of DISCOM.....................Vidyut Vitran Nigam Limited

No	Name of Zone	Name of Circle	Name of Division	No. of Processing fees Paid cases	No. of Cases Pending for Inspection		Serving of Demand Note/Estimate Pending after Inspection				Work Completion/Connection Release pending after deposit of Demand Note/Estimate							Total cases pending from DISCOM side after deposit of Demand Note/Estimate
							Where Mains Extention or S/S work is not required		Where Mains Extention or S/S work is required		Where Extention work or commisioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is not required			Where Extention work or commisioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is required				
																No of cases pending where work execution to be done by DISCOM		
					Total	**Beyond 10 days**	Total No.	Beyond 10 Days	Total No.	**Beyond 15 days**- For LT extension	**Beyond 30 days**- For HT extension	Total No.	No of cases pending where meter/MCB procurement is to bo done by applicant	No of cases pending **Beyond 7 days** where meter/MCB is to be provided by DISCOM	Total No.	No of cases pending where applicant has opted for execution of work himself	**Beyond 60 days**- Where extension of lines or augmentation of DT (Distribution Transformer) is required	**Beyond 120 days**- Where new DT (Distribution Transformer) is Required	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=15+18+19
1	2	3	4	5	6	7													

ote:- Period mentioned in table is maximum no. of days required as per provision in Supply Code, 2005.

संलग्नक–5

MIS Regarding Pending Cases on 'Jhatpat Connection' Portal

Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Shakti Bhawan, Lucknow

Date:

S. No	Name of Discom	No. of Processing fees Paid cases	No. of Cases Pending for Inspection		Serving of Demand Note/Estimate Pending after Inspection					Work Completion/Connection Release pending after deposit of Demand Note/Estimate							Total c pending DISCOM after dep Dema Note/Est
			Total	Beyond 10 days	Where Mains Extention or S/S work is not required		Where Mains Extention or S/S work is required			Where Extention work or commisioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is not required			Where Extention work or commisioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is required				
					Total No.	Beyond 10 Days	Total No.	**Beyond 15 days**- For LT extension	**Beyond 30 days**- For HT extension	Total No.	No of cases pending where meter/MCB procurement is to bo done by applicant	No of cases pending **Beyond 7 days** where meter/MCB is to be provided by DISCOM	Total No.	No of cases pending where applicant has opted for execution of work himself	No of cases pending where work execution to be done by DISCOM		
															Beyond 60 days- Where extension of lines or augmentation of DT (Distribution Transformer) is required	**Beyond 120 days**- Where new DT (Distribution Transformer) is Required	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=13+16+
	PuVVNL																
	PVVNL																
	MVVNL																
	DVVNL																
	KESKO																

Note:- Period mentioned in table is maximum no. of days required as per provision in Supply Code, 2005.